न्यायालय जिला कलक्टर (आरबीट्रेटर), सिरोही

बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

प्रार्थना–पत्र संख्या 45/2023

प्रार्थी

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जरिए परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण उदयपुर।

बनाम

विपक्षीगण

1. **स्व. श्री बेरीसालसिंह पुत्र स्व. श्री प्रतापदान निवासी पेशुआ तहसील पिण्डवाडा के विधिक वारिसान–**

1.1.1 श्रीमती सुगन कुंवर पत्नि स्व. श्री दुलेसिंह निवासी पेशुआ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

1.1.2 श्री भरतसिंह पुत्र स्व. श्री दुलेसिंह निवासी पेशुआ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

1.1.3 सुश्री बुलबुल पुत्री स्व. श्री दुलेसिंह निवासी पेशुआ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

1.2.1 श्रीमती जिनु कुंवर पत्नि स्व. श्री हितेन्द्रसिंह निवासी पेशुआ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

1.2.2 श्री आनन्दसिंह पुत्र स्व. श्री हितेन्द्रसिंह निवासी पेशुआ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

1.2.3 श्री विशालसिंह पुत्र स्व. श्री हितेन्द्रसिंह निवासी पेशुआ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

1.3 श्रीमती मंजु कुंवर पिता स्व. श्री बेरीसालसिंह निवासी पेशुआ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

1.4 श्रीमती सुमित्रा कुंवर पिता स्व. श्री बेरीसालसिंह निवासी पेशुआ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

1.5 श्री बेनु पिता स्व. श्री बेरीसालसिंह निवासी पेशुआ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

2. स्व. श्री जयसिंह पुत्र स्व. श्री प्रतापदान निवासी पेशुआ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के विधिक वारिसान–

2.1 श्रीमती भंवरीदेवी पत्नि स्व. श्री जयसिंह निवासी पेशुआ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

2.2 श्री रघुनाथ दान पुत्र स्व. श्री जयसिंह निवासी पेशुआ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

2.3 श्री अखेराज दान पुत्र स्व. श्री जयसिंह निवासी पेशुआ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

2.4 श्री गोपालदान पुत्र स्व. श्री जयसिंह निवासी पेशुआ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

2.5 श्री अभयसिंह पुत्र स्व. श्री जयसिंह निवासी पेशुआ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

2.6 सुश्री छाया कुंवर पुत्री स्व. श्री जयसिंह निवासी पेशुआ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

3. श्री बलवंत दान पुत्र स्व. श्री प्रतापदान निवासी पेशुआ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

4. श्री मदन दान पुत्र स्व. श्री प्रतापदान निवासी पेशुआ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

.....पेज नं. 02 पर

आर्बीट्रेटर
जिला कलक्टर, सिरोही

5. श्री हिंगलाज दान पुत्र स्व. श्री प्रतापदान निवासी पेशुआ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
6. श्री महेन्द्रसिंह पुत्र स्व. श्री प्रतापदान निवासी पेशुआ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
7. श्री खीमसिंह पुत्र स्व. श्री प्रतापदान निवासी पेशुआ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
8. सक्षम प्राधिकारी (उपखण्ड मजिस्ट्रेट), आबूपर्वत जिला सिरोही।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी)(5) नेशनल हाईवे एक्ट 1956 सपठित आरबीट्रेशन एण्ड कन्सीलेशनरल एक्ट, 1996

उपस्थिति :–

1. श्री अनुराग शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या तीन से सात की ओर से।

:: *निर्णय* ::

दिनांक : 07.01.2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र धारा 3(जी) (5) नेशनल हाईवे एक्ट के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) उपखण्ड मजिस्ट्रेट आबूपर्वत द्वारा पत्रावली संख्या पीवी नम्बर 19003 में पारित आदेश दिनांक 16.04.2007 से असहमत होकर यह प्रार्थना पत्र आरबीट्रेशन एण्ड कन्सीलेशनरल एक्ट 1996 के तहत् आरबीट्रेशन की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया, जो इस न्यायालय में प्रकरण संख्या 08/2009 अनवान नेशनल हाईवे बनाम बेरीसालसिंह व अन्य के नाम से दर्ज रजिस्टर किया जाकर वाद सुनवाई पक्षकारान् दिनांक 03.11.2009 को निर्णय पारित किया गया था। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.11.2009 के विरूद्ध अप्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 व धारा 151 सी.पी.सी. सपठित नेशनल हाईवे अधिनियम 1956 आर्बीट्रेशन एण्ड कन्सीलेशनरल एक्ट 1996 में इस न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 24/2015 में पारित निर्णय दिनांक 23.08.2023 के द्वारा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 08/2009 में पारित आदेश दिनांक 03.11.2009 को निरस्त कर प्रार्थना पत्र को पुनः सुनवाई करने के निर्देश दिए गए। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.08.2023 की पालना में प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभय पक्ष को नोटिस जारी किए गए, जिस पर प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अनुराग शर्मा एवं अप्रार्थी संख्या एक व दो के कायम मुकाम की ओर से बावजूद नोटिस तामिली के किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं दी गई तथा अप्रार्थी संख्या तीन से सात की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा ने जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी।

प्रकरण में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई। प्रार्थी के लायक अधिवक्ता श्री अनुराग शर्मा की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि विपक्षी सक्षम प्राधिकारी (उपखण्ड मजिस्ट्रेट) भूमि अवाप्ति, कार्यालय आबूपर्वत, जिला सिरोही द्वारा विपक्षी संख्या एक बेरीसाल सिंह, जयसिंह, बलवंत दान, मदन दान, हिंगलाज दान, बसंत महेन्द्रसिंह, खीमसिंह सर्वपुत्र श्री प्रतापदान निवासी गाँव पेशुआ ग्राम पंचायत पेशुआ तहसील पिण्डवाड़ा जिला सिरोही के पक्ष में पारित अवाप्ति मुआवजा अवार्ड संख्या 112/22251/19/003 मुआवजा विवरण दिनांक

आर्बीट्रेटर
जिला कलक्टर, सिरोही

.....पेज नं. 03 पर

14.06.2006 को पारित किया गया था, जो फोरलेन सड़क निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा समस्त कार्यवाहीयां पूर्ण करते हुए विपक्षी संख्या एक के पक्ष में अवाप्त भूमि व संरचनाओ बाबत् प्रस्तुत मुल्यांकन प्रतिवेदन आदि के अनुसरण में पारित अवार्ड की जाँच की जाने पर उक्त जॉच रिपोर्ट विपक्षी संख्या एक के हितधारी को कुएं के पेटे डी.एल.सी दरों के अनुसार देय मुआवजा राशि के अतिरिक्त अधिक मुआवजा राशि का भुगतान उपखण्ड कार्यालय के स्तर पर अधिकृत मूल्यांकन द्वारा जारी मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर कर दिया गया था, जो अनियमित होने के कारण डी.एल.सी. दर अनुसार मुआवजा राशि 80,000/– रूपये होती है जबकि हितधारी को 2,31,500/– रूपये का भुगतान मुआवजा स्वरूप जारी किया गया हैं। इस तरह अधिक भुगतान की गई अन्तर राशि 1,51,500/– रूपये अदा की गई है, जिसको प्रार्थी पुनः प्राप्त करने की वैधानिक अधिकारिता रखता हैं। यह कि विपक्षी संख्या एक के पक्ष में पारित अवार्ड के संबंध में विभागीय स्तर पर विस्तृत जॉच अतिरिक्त लेखा जाँच दल राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मुख्यालय जिला कलक्टर कार्यालय, जोधपुर द्वारा संबंधित प्रकरण का अंकेक्षण करने पर जाहिर आया कि सम्पूर्ण राशि का अवार्ड अनुसार समायोजन किये जाने के पश्चात् विपक्षी संख्या एक को 1,51,500/– रूपये का अभिलेखिय लेखा चूक के कारण अधिक भुगतान हो जाने से उक्त राशि विपक्षी संख्या एक को पुनः अदा किये जाने हेतु अवगत कराया गया, परन्तु विपक्षी संख्या एक द्वारा आज दिनांक तक उक्त अतिरिक्त राशि 1,51,500/– रूपये प्रार्थी को जमा नहीं करायी गई हैं। इसलिये प्रार्थी अन्तर राशि 1,51,500/– रूपये विपक्षी संख्या एक से प्राप्त करने हेतु यह आवेदन पत्र विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हो गया, जो कि प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी हैं। यह कि विपक्षी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो अवार्ड पारित किया गया है एवं संबंधित प्रकरण के अंकेक्षण प्रतिवेदन की संबंधित आंशिक आक्षेपित अभिकथन की फोटो प्रति प्रार्थी द्वारा संलग्न प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गई हैं, जिसके अवलोकन मात्र से ही प्रार्थी विभाग का आवेदन पत्र स्वीकार फरमाये जाने योग्य हैं। यह कि प्रार्थी द्वारा जो आवेदन प्रस्तुत किया गया है, वह नियमानुसार अवार्ड राशि में अधिक राशि का अवार्ड पारित किये जाने के कारण अन्तर राशि 1,51,500/– रूपये विधिक रूप से प्राप्त करने का अधिकारी है। इसलिये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार योग्य होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी विभाग को विपक्षी संख्या एक से अन्तर राशि अदा किये जाने हेतु आदेशित किया जाना आवश्यक हैं। यह कि विपक्षी संख्या एक की अवाप्त भूमि पर स्थित संबंधित हितधारको के स्वामित्व की सम्पत्ति का मूल्यांकन परियोजना निदेशक भा.रा.रा.प्रा. उदयपुर के आदेशानुसार मैसर्स पंचोली एसोसिएट्स, 15 प्राची विला, फेन्ड्स कॉलोनी, सेन्ट ग्रेगोरियस स्कूल रोड, उदयपुर द्वारा प्रस्तुत तकनीकी मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा राशि निर्धारित की गई थी, जो कुल मुआवजा राशि 13,74,521.61/– रूपये निर्धारित किये जाकर आयकर कटौती नहीं होने के पश्चात् कुल राशि 13,74,521.61/–रूपये विपक्षी संख्या एक को भुगतान करने के आदेश दिये गये थे। यह कि नेशनल हाईवे ऑथोरिटी जरिये निदेशक नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया, पालनपुर की ऑडिट द्वारा विपक्षी संख्या एक को रूपये 1,51,500/– नियम विरूद्ध भुगतान करने से वसूली निकाली गई हैं। इसलिये राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 (एच) (5) के अनुसार 9 प्रतिशत वार्षिकी दर से ब्याज सहित वसूल करायी जाकर प्रार्थी को दिलाया जाना आवश्यक हैं। ताकि विपक्षी सक्षम प्राधिकारी द्वारा विपक्षी संख्या एक के पक्ष में की गई अधिक राशि की वसूली किया जाना आवश्यक हैं। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत

.....पेज नं. 04 पर

आर्बीट्रेटर
जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को मद्येनजर रखते हुए प्राथी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ऑडिट द्वारा निकाली गई वसूली राशि रूपये 1,51,500/– एवं राशि प्राप्ति दिनांक से अदायगी दिनांक तक राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3(एच) (5) के अनुसार 9 प्रतिशत वार्षिकी दर से ब्याज सहित कुलिया राशि विपक्षी संख्या एक से भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानो के तहत विपक्षी सक्षम प्राधिकारी के जरिये विपक्षी संख्या एक से वसूल करायी जाकर प्रार्थी को दिलाये जाने का आदेश न्यायहित में फरमाया जावें।

अप्रार्थी संख्या दो से सात के लायक अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण के मालिकी स्वामित्व खातेदारी की खसरा संख्या 766 में से पक्का कुआ तथा कुऐं से लगती आराजी का भूमि अवाप्ति के दौरान अवाप्ति की कार्यवाही की गई थी। उस समय प्रार्थी द्वारा पक्का कुंआ के भुगतान हेतु डीएलसी दर रूपये 80,000 हजार की दर से गणना कर मुआवजा निर्धारण करने का निवेदन किया था। जिस पर अप्रार्थीगण की तरफ से सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत की थी, जिस पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार सहायक अभियन्ता सिंचाई विभाग को प्रार्थीगण के कुऐं का भौतिक सत्यापन कर एस्टीमेन्ट बनाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, जिस पर सहायक अभियन्ता सूकली सेलवाडा सिंचाई उपखण्ड आबूरोड द्वारा अप्रार्थीगण के उक्त कुऐं का मौके पर उपस्थित होकर भौतिक सत्यापन किया तथा एस्टीमेट बनाते हुये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा उक्त रिपोर्ट अनुसार कुऐं की कीमत 2,31,500/– रू. आंकी तथा उसी रिपोर्ट को आधार मानकर सक्षम प्राधिकारी आबूपर्वत द्वारा अवार्ड जारी किया गया है। केवल मात्र ऑडिट पेरा को आधार मानकर उक्त अवार्ड को कानूनन अपास्त नही किया जा सकता है। अवार्ड पारित करते समय उक्त कुऐं की गहराई में मात्र बोर का ही निर्माण हो सकता है कुऐ का निर्माण कतई संभव नही है। उक्त कुंआ 100 फीट गहरा तथा 5.18 मीटर के व्यास की परिधि में खोदा हुआ था तथा पक्का पत्थरों से बंधा हुआ था, लेकिन उक्त सभी तथ्यों को प्रार्थी ने जानबूझकर माननीय न्यायालय में उजागर नहीं कर तथ्यों को छिपा कर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि खसरा संख्या–766 का सक्षम प्राधिकारी (उपखण्ड मजिस्ट्रेट), आबूपर्वत द्वारा मुआवजा राशि का अवार्ड जारी करने में किसी तरह की कोई त्रुटि नही की गई है। यह कि चुनौतिग्रस्त आदेश के अवलोकन मात्र से ही जाहिर है कि दोनों पक्षों को सविस्तार सुना जाकर गुणावगुण पर मुआवजा आदेश पारित किया गया है, जिसमें संशोधन, परिवर्तन का कोई आधार प्रार्थी के पक्ष में बनना विधिक रूप से नहीं पाया जाने से प्रार्थी का आवेदन पत्र निरस्त फरमाये जाने योग्य है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जाना फरमावें।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया एवं पत्रावली के अवलोकन के उपरान्त न्यायालय का मत है कि मौजा पेशुआ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के खसरा संख्या 766 रकबा 0.864 हैक्टेयर किस्म गे.मु. वेरा भूमि सक्षम प्राधिकारी (उपखण्ड मजिस्ट्रेट) आबूपर्वत द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु अवाप्त की गई थी एवं अप्रार्थीगण की उक्त अवाप्तशुदा भूमि पर एक पक्का कुंआ बना हुआ था। सक्षम प्राधिकारी (उपखण्ड मजिस्ट्रेट) आबूपर्वत द्वारा पक्के कुंए के सम्बन्ध में मुआवजा निर्धारण जरिए अवार्ड क्रमांक/भा.रा.रा.प्रा./रारामा–8/

.....पेज नं. 05 पर

आर्बीट्रेटर
जिला कलक्टर, सिरोही

2006/अवार्ड/748 दिनांक 04.06.2006 के पेज संख्या सात के अनुसार पक्का कुंआ का भुगतान डी.एल.सी. दर रूपए 80,000/– अदा करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त अवाप्तशुदा भूमि पर कुंआ काफी बडा या गहरा पाया जाने पर सक्षम विभाग से मूल्यांकन कर मुआवजा नियमानुसार देय होने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया। अप्रार्थीगण कुंआ के डी.एल.सी. दर रूपए 80,000/– से सन्तुष्ट नहीं होने से उनके द्वारा सक्षम प्राधिकारी (उपखण्ड मजिस्ट्रेट) आबूपर्वत के कार्यालय में दिनांक 29.04.2006 को आपत्ति पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण का कुंआ 100 फीट गहरा एवं उसक डायामीटर 5.18 मीटर है, जो सामान्य कुंआ से अलग है। उक्त आपत्ति के साथ संलग्न सहायक अभियन्ता, सुकली, सेलवाडा सिंचाई उपखण्ड आबूरोड का एस्टीमेट पेश किया, जिसका सक्षम प्राधिकारी (उपखण्ड मजिस्ट्रेट) आबूपर्वत द्वारा अवलोकन करने पर अप्रार्थीगण के अवाप्तशुदा भूमि पर स्थित पक्के कुंए का मुआवजा एस्टीमेट के अनुसार रूपए 2,31,500/– अवार्ड भुगतान की स्वीकृति दी गई एवं उक्त स्वीकृति के आधार पर अप्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 766 में स्थित पक्के कुंए का मुआवजा रूपए 2,31,500/– प्राप्त किया गया था। प्रार्थी अधिवक्ता का मुख्यतः तर्क है कि अप्रार्थीगण को जारी मुआवजे के सम्बन्ध में विभागीय स्तर पर विस्तृत जॉच अतिरिक्त लेखा जॉच दल राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मुख्यालय जिला कलक्टर कार्यालय, जोधपुर द्वारा संबंधित प्रकरण का अंकेक्षण करने पर जाहिर आया कि मुआवजा निर्धारण मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर कर दिया गया था, जो अनियमित होने के कारण डी.एल.सी. दर अनुसार मुआवजा राशि 80,000/– रूपये होती है, जबकि हितधारी को 2,31,500/– रूपये का भुगतान मुआवजा स्वरूप जारी किया गया हैं। इस तरह अधिक भुगतान की गई अन्तर राशि 1,51,500/– रूपये अदा की गई है, जिसको प्रार्थी को पुनः दिलवाया जावे। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रार्थी अधिवक्ता का यह कथन सत्य है कि अप्रार्थीगण को जारी मुआवजे के सम्बन्ध में विभागीय स्तर पर जॉच अतिरिक्त लेखा जॉच दल राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मुख्यालय जिला कलक्टर कार्यालय, जोधपुर द्वारा किए जाने पर ऑडिट दल द्वारा अप्रार्थीगण से राशि 1,51,500/– रूपए वसूल किए जाने के सम्बन्ध में आक्षेप लगाया गया था। इसके अतिरिक्त सक्षम प्राधिकारी (उपखण्ड मजिस्ट्रेट) आबूपर्वत द्वारा पक्के कुंए के सम्बन्ध में मुआवजा निर्धारण जरिए अवार्ड क्रमांक/भा.रा.रा.प्रा./रारामा–8/2006/अवार्ड/748 दिनांक 04.06.2006 के पेज संख्या सात के अनुसार पक्का कुंआ का भुगतान डी.एल.सी. दर रूपए 80,000/– अदा करने तथा अवाप्तशुदा भूमि पर कुंआ काफी बडा या गहरा पाया जाने पर सक्षम विभाग से मूल्यांकन कर मुआवजा नियमानुसार देय होने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया। चूंकि अप्रार्थीगण द्वारा सक्षम प्राधिकारी (उपखण्ड मजिस्ट्रेट) आबूपर्वत के कार्यालय में पेश की गई आपत्ति एवं सहायक अभियन्ता, सुकली, सेलवाडा सिंचाई उपखण्ड आबूरोड द्वारा तैयार की गई एस्टीमेट रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थीगण की अवाप्तशुदा भूमि खसरा संख्या 766 में स्थित कुंआ सामान्य कुंओं से अलग 100 फीट गहरा एवं 5.18 मीटर डायामीटर का था। अतः उक्त अवाप्तशुदा भूमि खसरा संख्या 766 में स्थित कुंआ सामान्य कुंओं से अलग होने से सक्षम प्राधिकारी (उपखण्ड मजिस्ट्रेट) आबूपर्वत द्वारा मुआवजा निर्धारण के आदेश दिनांक 04.06.2006 के आधार पर सहायक अभियन्ता, सुकली, सेलवाडा सिंचाई उपखण्ड आबूरोड द्वारा तैयार की गई मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर अवार्ड जारी किया गया है, जो उचित प्रतीत होता है। जहां तक उक्त अवाप्तशुदा भूमि खसरा

.....पेज नं. 06 पर

आर्बीट्रेटर
जिला कलक्टर, सिरोही

संख्या 766 में बने कुंए का सामान्य कुंए से अलग होने का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह साबित होता हो कि उक्त अवाप्तशुदा भूमि खसरा संख्या 766 में स्थित कुंआ अन्य कुंओं से अलग नहीं होकर सामान्य कुंआ ही था और उसका मुआवजा निर्धारित डी.एल.सी. दर से 80,000/– रूपए ही दिया जाना चाहिए था। अतः प्रार्थी अधिवक्ता अवाप्तशुदा भूमि खसरा संख्या 766 में स्थित कुंआ सामान्य कुंआ होना साबित करने में असफल रहे है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र केवल अतिरिक्त लेखा जाँच दल राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मुख्यालय जिला कलक्टर कार्यालय, जोधपुर द्वारा लगाए गए आक्षेप के आधार पर प्रस्तुत किया गया है, परन्तु उक्त आक्षेप में भी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस प्रकार के कुएं को सामान्य कुंआ माना जाएगा और किन कुंओं को असामान्य माना जाएगा और न ही विभागीय जांच दल द्वारा अपने आक्षेप में सामान्य एवं असामान्य कुंओं को परिभाषित किया गया है। चूंकि विभागीय जांच दल द्वारा उक्त अवाप्तशुदा भूमि के मौके पर नहीं जाकर केवल मात्र दस्तावेजों के आधार पर ही उक्त आक्षेप लगाया गया है, जबकि सहायक अभियन्ता, सुकली, सेलवाडा सिंचाई उपखण्ड आबूरोड द्वारा मौके पर जाकर मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की गई थी और उसी रिपोर्ट के आधार पर सक्षम प्राधिकारी (उपखण्ड मजिस्ट्रेट) आबूपर्वत द्वारा मुआवजा निर्धारण किया गया है। अतः केवल मात्र ऑडिट पेरा को आधार मानकर सक्षम प्राधिकारी (उपखण्ड मजिस्ट्रेट) आबूपर्वत द्वारा उक्त अवाप्तशुदा भूमि खसरा संख्या 766 में स्थित कुंए के सम्बन्ध में जारी अवार्ड को निरस्त करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा केवल मात्र ऑडिट पेरा को आधार मानकर सक्षम प्राधिकारी (उपखण्ड मजिस्ट्रेट) आबूपर्वत द्वारा उक्त अवाप्तशुदा भूमि खसरा संख्या 766 में स्थित कुंए के सम्बन्ध में जारी अवार्ड को निरस्त कराने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जबकि विभागीय जांच दल द्वारा अपने आक्षेप में सामान्य एवं असामान्य कुंओं में अन्तर स्पष्ट नहीं करते हुए केवल मात्र दस्तावेजों के आधार पर ही उक्त आक्षेप लगाया गया है, जबकि सहायक अभियन्ता, सुकली, सेलवाडा सिंचाई उपखण्ड आबूरोड द्वारा मौके की स्थिति अनुसार मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की गई थी और उसी रिपोर्ट के आधार पर सक्षम प्राधिकारी (उपखण्ड मजिस्ट्रेट) आबूपर्वत द्वारा मुआवजा निर्धारण किया गया है, जो उचित प्रतीत होता है। अतः सक्षम प्राधिकारी (उपखण्ड मजिस्ट्रेट) आबूपर्वत द्वारा अवाप्तशुदा भूमि खसरा संख्या 766 में स्थित कुंए के सम्बन्ध में जारी अवार्ड में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत होगा। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर,(आरबीट्रेटर)
सिरोही (राज0)